

FORM NO.111

फर्द अहकाम


(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कमलेश कुमार बनाम नामालूम

किरम मुकदमा- प्रार्थना पत्र कैवियट

मुकदमा नम्बर-192/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
25.11.2024	<p>प्रार्थी वकील श्री कानाराम पूनियां एड0 के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 07.06.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना</p>	

